

## न्यायालय जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर

अपील संख्या 98/19

सन् 2019

आरसीएमएस संख्या 2019/00131

बउनवानी- बादुल्ला पुत्र याकूब जाति गददी मुसलमान निवासी दुब्बी खुर्द तह0 व जिला सवाईमाधोपुर  
बनाम

सरकार जरिये नायब तहसीलदार सवाईमाधोपुर

(अपील विरुद्ध आदेश नायब तहसीलदार सवाईमाधोपुर की मिसल संख्या 38/2017 निर्णय  
दिनांक 23.1.2017 अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956)

उपस्थित :- 1. श्री शिवचरण सोनी  
2. श्री महावीर चौधरी

वकील अपीलान्ट  
पैरोकार राजस्व

-: निर्णय :-

दिनांक 23.12.2019

अपीलान्ट द्वारा नायब तहसीलदार सवाईमाधोपुर की मिसल संख्या 38/2017 में पारित निर्णय  
दिनांक 23.1.2017 जिसके द्वारा अपीलान्ट को पश्चातवर्ती अतिक्रमण का दोषी पाये जाने पर अपीलान्ट  
के विरुद्ध शास्ती आरोपित कर मौके से बेदखल करने के अतिरिक्त 90 दिन के सिविल कारावास से  
दण्डित किया गया है के विरुद्ध यह अपील प्रस्तुत की गयी है।

अपील प्रस्तुत होने पर न्यायालय हाजा में दर्ज रजिस्टर की जाकर अदालत मातहत का मूल  
अभिलेख अवलोकन हेतु तलब किया गया व विपक्षी की भी सुनवायी हेतु तलबी जरिये नोटिस की  
गयी।

अदालत मातहत से प्राप्त अभिलेख के अनुसार मामलें में संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि  
सम्बत् 2073 में वाके ग्राम दुब्बी खुर्द तहसील सवाईमाधोपुर की गै0मु0 चरागाह भूमि आराजी ख0न0  
120 रकबा 0.13 है0 एवं ख0न0 121 रकबा 0.12 है0 कुल रकबा 0.25 है0 पर गेहूँ की फसल काश्त  
कर अतिक्रमण किये जाने के आशय की रिपोर्ट नायब तहसीलदार सवाईमाधोपुर के समक्ष प्रस्तुत की  
गयी एवं खाना कैफियत में अपीलान्ट का पश्चातवर्ती अतिक्रमण होना अंकित किया है। रिपोर्ट प्रस्तुत  
होने पर अदालत मातहत ने अपीलान्ट को वास्तें सुनवायी व साक्ष्य सबूत प्रस्तुत करने का अवसर देते  
हुये तलबी जरिये नोटिस की गयी, जिसकी पालना में अपीलान्ट ने अदालत मातहत के समक्ष  
उपस्थित होकर अतिचार करना स्वीकार किया तत्पश्चात् मुताबिक रिपोर्ट अपीलान्ट का पश्चातवर्ती  
अतिक्रमण होने बाबत अंकित तथ्यों की जाँच के तहत अदालत मातहत द्वारा पटवार हल्का के लिये  
गये बयान के अतिरिक्त खसरा परिवर्तनशील सम्बत् 2072 जिसमें अपीलान्ट द्वारा विवादित भूमि पर  
सरसो की फसल काश्त की गयी है के आधार पर अपीलान्ट का पश्चातवर्ती अतिक्रमण होना साबित  
होने की स्थिति में बाद जाँच आदेश जैर अपील में पारित किया है। जिससे आहत होकर अपीलान्ट  
द्वारा यह अपील न्यायालय हाजा में प्रस्तुत की है।

तत्पश्चात बहस उभयपक्ष सुनी गयी ।

वकील अपीलान्ट ने अपील में वर्णित तथ्यों का हवाला देते हुये बहस में तर्क दिया कि अदालत  
मातहत ने आदेश जैर अपील पारित करने से पूर्व विधिवत रूप से सुनवायी व सबूत साक्ष्य प्रस्तुत  
करने का समुचित अवसर प्रदान नहीं दिया है एवं पश्चातवर्ती अतिक्रमण के सम्बन्ध में मौका निरीक्षण  
कर सम्यक जाँच नहीं की गयी एवं पटवार हल्का द्वारा रंजिशवश प्रस्तुत गलत व झूठी रिपोर्ट के  
आधार पर ही आदेश जैर अपील पारित कर दिया गया। जबकि मामलें में वास्तविकता यह है कि  
विवादित भूमि साबिक ख0न0 117 वाके ग्राम दुब्बी खुर्द तहसील सवाईमाधोपुर की खातेदारी कब्जे  
काश्त की आराजी है जिसके सेटलमेंट विभाग द्वारा नये ख0न0 120 व 121 बनाते हुए चरागाह दर्ज  
कर दी है जिसको दुरुस्त करवाने बाबत माननीय न्यायालय सम्भागीय आयुक्त भरतपुर में प्रकरण  
जैरकार है। उपरोक्त तथ्यों पर विचार किये बगैर अदालत मातहत ने आदेश जैर अपील पारित करने  
से पूर्व अपीलान्ट को नैसर्गिक न्यायिक सिद्धान्तों के तहत विधिवत नोटिस जारी कर सुनवायी का  
समुचित अवसर भी प्रदान नहीं किया गया एवं बिना सुने ही न्यायिक सिद्धान्तों के विरुद्ध जाकर  
अपीलान्ट के विरुद्ध इकतरफा में आदेश जैर अपील पारित कर दिया गया जिसके कारण अपीलान्ट  
अपनी प्रतिरक्षा करने के अधिकार से महरूम हो गया। जहाँ तक अपीलान्ट का पश्चातवर्ती अतिक्रमण  
का प्रश्न है इस सम्बन्ध में विधि में सुस्थापित है कि किसी भी व्यक्ति को पूर्व में किसी निर्णय के  
क्रियान्वयन में मौके से भौतिक रूप से बेदखल नहीं किया गया हो तो उस व्यक्ति को पश्चातवर्ती  
अतिक्रमी नहीं माना जा सकता। पत्रावली पर ऐसा कोई साक्ष्य नहीं है जिसके आधार पर अपीलान्ट

डॉ० एस. पी. सिंह

जिला कलेक्टर

सवाई माधोपुर

को कथित प्रश्नगत भूमि पर से पूर्व में बेदखल किया गया हो, इस सम्बन्ध में अदालत मातहत द्वारा लिये गये इकतरफा बयान को विधि अनुरूप नहीं माना जा सकता है क्योंकि इसमें अपीलान्त को पटवार हल्का से जिरह करने का समुचित अवसर दिये बिना ही अदालत मातहत द्वारा आदेश जैर अपील पारित कर सिविल कारावास जैसे कठोर दण्ड से दण्डित किया जाना न्याय के विपरीत है। यह तर्क भी प्रस्तुत किया गया कि अपीलान्त को आदेश जैर अपील की सर्वप्रथम जानकारी दिनांक 23.10.2019 को पुलिस वाले वारण्ट लेकर गांव आने पर घर वालो के बताये जाने पर प्राप्त होने पर जानकारी के अनुसार नकल प्राप्त करने हेतु नकल प्रार्थना पत्र तहसील में प्रस्तुत किया गया व नकल प्राप्त होने पर मुझ अपीलान्त के विरुद्ध पारित आदेश की अपील व लिमि0 प्रार्थना पत्र दफा-5 मय शपथ पत्र के डेट ऑफ नॉलेज के आधार पर अन्दर मियाद प्रस्तुत की गयी है। जिसमें विलम्ब की अवधि को क्षमा करते हुये अपील अन्दर मियाद शुमार फरवायी जावे एवं आदेश जैर अपील खारिज कर अपील अपीलान्त स्वीकार फरमाये जाने बाबत निवेदन किया है।

पैरोकार राजस्व ने जवाब बहस में कथन किया कि प्रथम तो अपील मियाद बाहर प्रस्तुत की गयी है एवं विलम्ब बाबत अपीलान्त द्वारा प्रस्तुत किये गये तथ्यों की पुष्टि में अपीलान्त ने कोई विधिक साक्ष्य भी प्रस्तुत नहीं किया है। अपीलान्त की सुनवायी का जहाँ तक प्रश्न है इस सम्बन्ध में पत्रावली पर उपलब्ध विपक्षी को सुनवायी हेतु जारी नोटिस की तामील प्रति की और ध्यान आकर्षित कर कथन किया गया जिस पर सी.पी.सी. प्रावधानों के तहत अपीलान्त के पुत्र से विधिवत करवायी गई तामील से हो जाती है। जिसकी पालना में अपीलान्त ने अदालत मातहत के समक्ष उपस्थित होकर जवाब नोटिस पेश नहीं किया, जिसके आधार पर अपीलान्त को सुनवायी का अवसर दिये जाने से सम्बन्धित तथ्यों की स्वतः पुष्टि हो जाती है। तत्पश्चात् मुताबिक रिपोर्ट अपीलान्त का पश्चातवर्ती अतिक्रमण होने बाबत अंकित तथ्यों की जाँच के तहत अदालत मातहत द्वारा पटवार हल्का के लिये गये बयानो के अतिरिक्त खसरा परिवर्तनशील सम्वत् 2072 जिसमे अपीलान्त द्वारा विवादित भूमि पर सरसो की फसल काशत की गयी है के आधार पर अपीलान्त का पश्चातवर्ती अतिक्रमण होना साबित होने की स्थिति में बाद जाँच आदेश जैर अपील पारित किया है। ऐसी स्थिति में उपरोक्त तथ्यों के आधार पर अदालत मातहत द्वारा पारित आदेश जैर अपील विधिसम्मत है जिसको यथावत रखते हुये अपील अपीलान्त खारिज फरमाये जाने बाबत निवेदन किया है।

वकील उभयपक्षों द्वारा प्रस्तुत तर्कों को सुनने के पश्चात् सम्बन्धित अभिलेख का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया तो मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचता हूँ कि अदालत मातहत द्वारा आदेश जैर अपील पारित करने से पूर्व विधिवत अपीलान्त को सुनवायी व साक्ष्य प्रस्तुत करने का समुचित अवसर दिया गया है जिसकी पुष्टि अपीलान्त को जारी नोटिस की पुस्त पर अपीलान्त के पुत्र से विधिवत करवायी गयी तामील से हो जाती है। जहाँ तक अपीलान्त के पश्चातवर्ती अतिक्रमण होने का प्रश्न है इसकी पुष्टि भी पत्रावली पर उपलब्ध विधिक साक्ष्य यथा पटवार हल्का के लिये गये बयानो के अतिरिक्त खसरा परिवर्तनशील सम्वत् 2072 जिसमे अपीलान्त द्वारा विवादित भूमि पर सरसो की फसल काशत की गयी है के आधार पर हो जाती है। चूँकि अपीलान्त द्वारा अतिक्रमित की गयी भूमि के सम्बन्ध में अपने पक्ष में इस प्रकार का कोई सुदृढ अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया है, यद्यपि नायब तहसीलदार सवाईमाधोपुर की मिसल संख्या 67/19 मे पारित निर्णय दिनांक 25.2.2019 के अनुसार अपीलान्त द्वारा विवादित भूमि पर अमरुद का बगीचा लगा रखा है। किन्तु अपीलान्त द्वारा विवादित भूमि ख0न0 120,121 पर से कब्जा हटा लेने एवं भविष्य में कब्जा नहीं करने का आशय का शपथ पत्र प्रस्तुत किया है। ऐसी स्थिति में अपील अपीलान्त सजा की सीमा तक स्वीकार किया जाना न्यायोचित समझता हूँ।

अतः उक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्त सजा की सीमा तक इस शर्त पर स्वीकार की जाती है, कि नायब तहसीलदार सवाईमाधोपुर विवादित भूमि की मौके की जाँच करे, यदि अपीलान्त का मौके पर कब्जा पाया जावे तो आदेश जैर अपील से दी गयी सजा यथावत रहेगी एवं यदि प्रस्तुत अण्डर टैकिंग के कथनानुसार मौके पर से अपीलान्त द्वारा अपना कब्जा हटा लिया हो तो आदेश जैर अपील से दी गयी सजा माफ समझी जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल अभिलेख की जावे।

निर्णय आज दिनांक 23.12.2019 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ०एस०पी०सिंह)  
जिला कलेक्टर  
सवाई माधोपुर

